राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 151/2015/जोधपुर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–ई, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स परसाराम पुत्र शिवराम
एफ0 मण्डोर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक ....राजस्व की ओर से

श्री आर. आर. सिंघवी,
अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 34/RVAT/JUE/2014–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी व्यवसायी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण में वर्ष 2008–09 की अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.02.2011 को पारित किया गया था, उसमें व्यवहारी को सुनवाई का कोई अवसर न देने के आधार कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर प्रकरण पुनः आदेश हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश में आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में व्यवसायी फर्म डोडा पोस्त व भांग का व्यवसाय करती है, जिनके द्वारा प्रशमन योजना, 2008 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु इसका कोई निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया एवं वर्ष समाप्ति के पश्चात दिनांक 01.07.2010 व 09.08.2010 को कर निर्धारण करने हेतु नोटिस जारी करना बताया एवं उपस्थित न होने पर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, जिसमें कम्पोजिशन योजना

लगातार.....2

के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण न होने से पूर्ण कर दर से कर एवं करवंचना के अपराध में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करते हुये व्यवहारी फर्म को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के निर्देश देते हुये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है बल्कि व्यवसायी को नैसर्गिक न्याय के प्रकाश में अवसर देने का आदेश दिया जाना विधिक एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। अतः वाद को प्रतिप्रेषित करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु यह टिप्पणी की जाती है कि अपीलीय आदेश की अंतिम पंक्ति में शास्ति को पृथक रुप से अपास्त करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सम्पूर्ण आदेश को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति के तीन माह के भीतर पुनः निर्णय पारित करें।

अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 26.02.2018 तक समस्त लेखा पुस्तकें एवं अपना पक्ष कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य